<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

31.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चल रही जांच के संबंध में अमित अग्रवाल को 30.08.2025 को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420/467/468/471/120बी के तहत मेसर्स किंजल फ्रेट फॉरवर्डिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री विकास मोहपाल के क्रेडेंशियल्स का दुरुपयोग करके जाली फॉर्म 15सीबी और 15सीए में करोड़ों रुपये भेजने का आरोप लगाया गया था, जिसका उद्देश्य गलत इरादे से विदेश में धन भेजना था।

इस मामले में, वस्तुओं और सेवाओं के आयात और माल ढुलाई शुल्क के भुगतान की आड़ में भारत से हांगकांग और सिंगापुर को कुल 696.69 करोड़ रुपये की बड़ी राशि भेजी गई। इस भेजी गई राशि के बदले भारत में वस्तुओं और सेवाओं की कोई आपूर्ति नहीं की गई, जिससे सरकारी खजाने को विदेशी मुद्रा की हानि हुई।

भारत से धन के हस्तांतरण के लिए, धोखाधड़ी वाले खाता लेनदेन करने हेतु संस्थाओं का एक जटिल जाल बिछाया गया था। साथ ही, उक्त संस्थाओं के निदेशकों/मालिकों/साझेदारों ने जाली पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और बाद में उन्हीं जाली पहचानों का उपयोग करके उक्त संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते भी खोले गए। बाहरी धन प्रेषणों को अंजाम देने के लिए, इन संस्थाओं ने नकदी के बदले अपने-अपने बैंक खातों में क्रेडिट प्रविष्टियाँ कीं और उसके बाद जाली एयरवे बिल, चालान और फर्जी फॉर्म 15 सीबी (अनिवासी या विदेशी कंपनी को किए जाने वाले भुगतान के लिए आयकर नियमों के तहत आवश्यक लेखाकार प्रमाणपत्र) की मदद से, भारत के बाहर धनराशि प्रेषित की गई।

ईडी की जांच से पता चला है कि अमित अग्रवाल फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके संस्थाओं का जटिल जाल रचने और उनके बैंक खाते खोलने में शामिल मुख्य लोगों में से एक था। बाद में, उसने नकदी के बदले कई अन्य संस्थाओं से इन संस्थाओं के बैंक खातों में जमा प्रविष्टियाँ करवाईं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उन्हें सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

आगे की जांच जारी है।